

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 1006

दिनांक : 8-2-17

आदेश

मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2017 को अपरान्ह 2.30 बजे जिला कलेक्टर सभागार, अजमेर में अजमेर सम्भाग के अजमेर विकास प्राधिकरण/निकायों में विभाग के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

इस बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण/निकायों के नियमित कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जावेगी :-

- 01- Sewerage Status
- 02- Strom Water Drainage
- 03- Smart Cities
- 04- स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
- 05- एन.यू.एल.एम. (N.U.L.M.)
- 06- Heritage Conservation
- 07- AMRUT
- 08- Conservation of Water Bodies
- 09- Any Other

बैठक में अजमेर सम्भाग की निकायों के समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशारी अधिकारी तथा अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/आयुक्त समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलेक्टर, अजमेर, परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी.; निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.), अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के आयुक्त उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बैठक का समन्वय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर द्वारा किया जावेगा।


(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 8-2-17

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 1007-1041

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
04. जिला कलेक्टर, अजमेर।
05. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
06. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
07. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको., जयपुर।
08. मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक (एन.यू.एल.एम.) अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) निदेशालय।
09. अध्यक्ष/आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशारी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका, अजमेर सम्भाग की उक्त बैठक में उपस्थिति वांछनीय है।।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर को भेजकर निर्देश दिये जाते है उक्त बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां एवं समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित विधायकगणों को अपने स्तर पर आमंत्रित कर विभाग को अवगत करावें।
12. सुरक्षित पत्रावली।


(एम0 पी0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक